यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून के माह 05/2013 से 07/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2018 से 05.09.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कौल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस॰ के॰ त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के परिवेक्षण मे दिनांक 28.05.13 से 03.06.13 तक संपादित की गयी। जिसमे माह 10/2009 से 04/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान मे अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, समय समय पर स्किल डेव्लपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाते है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न कंपनियों द्वारा संस्थान मे केंपस आयोजित कर रोजगार प्रदान कराया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे देहरादून क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	448.84	442.21	43.30	38.20	-	11.73
2	2014-15	0.00	0.00	533.82	533.82	37.99	31.26	-	6.73
3	2015-16	0.00	0.00	595.27	528.84	52.60	25.76	-	90.27
4	2016-17	0.00	0.00	735.62	662.51	146.26	142.84	-	76.53
5	2017-18	0.00	0.00	873.99	823.76	101.29	90.64	-	60.88
6	2018-19	0.00	0.00	848.67	326.46	49.74	12.97	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2012 से 07/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016, 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- भवन निर्माण रु. 84.36 लाख के कार्य में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर देहरादून के अंतर्गत संचालित आईटीआई विकासनगर में पीपीपी मोड के अंतर्गत निष्पादित सिविल निर्माण कार्य रु 1.03 करोड़ के सापेक्ष लेखापरीक्षा में उपलब्ध पत्रावली रु 84.36 लाख की सविक्षा की गयी तथा पाया गया कि संस्थान में कार्यशाला तथा क्लासरूम के निर्माण के लिए टुकड़ो टुकड़ो में रु 41.84 लाख तथा रु 42.52 लाख के कार्य क्रमश: वर्ष 2013 तथा वर्ष 2014 मे कराने का निर्णय लिया गया तथा पीपीपी मोड के कार्य में 100% फंडिंग भारत सरकार द्वारा पाया गया। इकाई द्वारा कार्य का निष्पादन प्राइवेट वर्किंग एजेंसी से कराये जाने का निर्णय लिया गया जो वित्तीय नियमसंगत नही था क्योकि वित्तीय नियम(GFR-165) प्राइवेट वर्किंग एजेंसी से निर्माण कार्य कराने की तभी अनुमति देता, जब इकाई को शासकीय व्यवस्था में कार्य हेतु अपेक्षित विशेषज्ञ प्राप्त न हो तथा इकाई consualtancy evaluation committee गठित करने में सक्षम हो तथा कंसल्टेंट तथा ठेकेदार के कार्यो की निरन्तर मोनिटेरींग के लिए मैकनिज्म विकसित करने का संसाधन हो। जिसके लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक थी जिसकी अनदेखी लेखापरीक्षा मे पायी गयी। इकाई को कोई ठोस कार्य योजना नही होने के कारण भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत धनराशि समय से अवमुक्त होने के बावजूद भी एकीकृत भवन संरचना तैयार न कर कार्य टुकड़ो टुकड़ो में कराया गया। नियमतः निर्माण कार्य कराने हेतु शासकीय एजेंसी की संभावना तलाश की जगह शासकीय एजेंसी को हतोत्साहित कर प्राइवेट एजेसी से निर्माण कार्य कराने में रुचि दर्शाई गयी जिसकी पुष्टि बीएसएनएल वर्किंग एजेसी की दिनांक 09.11.2012 के पत्र से होती है जिनसे अगणना आमंत्रित कर दिनांक 26.12.12 के कार्यवृत मे comperative statement में संबन्धित कार्यदायी संस्था को शामिल नही किए जाने से होती है। इकाई के पास तंत्र नही होने के कारण सलाहकार से प्राप्त आगणन की बिना तकनीकी स्वीकृति कराये निम्नतर दर के आधार पर रु 41.84 लाख का कार्य निजी ठेकेदार को आबंटित कर दी गयी तथा रु 42.52 लाख के निर्माण कार्य में गाइडलाइंस के अधिप्राप्ति व वित्तीय नियम का पालन किए बिना पुराने क्रियाकलाप को संतोषजनक बताते हुये तथा उनको आधार बनाते हुये पुनः उसी ठेकेदार को बिना प्रतिस्पर्धा कराये कार्य आबंटित कर दिया गया। दिशा निर्देशों के अनुसार 01 करोड़ तक के प्रतिबंधित निर्माण कार्य का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से 298712/- का अतिरिक्त कार्य कराया जाना पाया गया।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि आईएमसी एक स्वतंत्र कमेटी है जिसमें प्राइवेट भागीदार है। समस्त उठाए गए बिन्दुओं को समिति को अग्रसारित किया जाएगा तथा समिति का अभिमत प्राप्त कर अनुपालन आख्या मे सूचना प्रेषित की जाएगी।

उत्तर मान्य नही, पीपीपी मोड की शत प्रतिशत फंडिंग भारत सरकार की है जिसमे प्राइवेट भागीदार का मात्र व्यवसायों के उच्चीकरण में परामर्श प्राप्त करने की भूमिका है। दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन में समिति के सचिव की भागीदारी की प्रमुखता होगी जो शासकीय विभाग के अंग है। अतः वित्तीय नियमों की पूर्णत अनदेखी कर शासकीय निर्माण एजेसी को हतोत्साहित करना तथा इकाई के पास तंत्र विकसित करने का संसाधन नही होने के बावजूद भी प्राइवेट एजेंसी से कार्य कराने में रुचि दर्शाना निर्मित भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कराये जाने का प्रकरण बनाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:2- सामग्रियों के क्रय मे अधिप्राप्ति नियमो का पालन नही किया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर देहरादून की लेखापरीक्षा मे क्रय प्रक्रिया तथा बिल/ वाउचर के रखरखाव में निम्न विसंगतिया पायी गयी :-

1. सामाग्री क्रय करने के पूर्व क्रय समिति गठित तथा नामित सदस्यों की सूचना प्रकाशित करने संबंधी अभिलेख अनुपलब्ध पाया गया तथा रु 2.22 लाख के फर्नीचर क्रय के मामले में फर्मों के चयन मे अंतिम निर्णय के समय सदस्यो के रूप में स्वयं सक्षम अधिकारी का शामिल होना तथा अपने समक्ष बाहर से अधिकारी शामिल कर सदस्य बनाना व्यय की पारदर्शिता को प्रभावित करना पाया गया।
2. वर्ष 2016-17 मे मद संख्या -15 POL के अंतर्गत रु 1.21 लाख आबंटन केंद्रीय सहायतित यूनिट SPIU आहरण वितरण अधिकारी न होने के कारण उनके धनराशि का रखरखाव आईटीआई माजरा के अंतर्गत पाया गया। जिसमे रु 99638/- का व्यय एसपीआईयू यूनिट पर किया गया तथा शेष रु 21000/- की राशि का बिल/वाउचर अप्राप्त पाया गया।
3. POL मद की राशि से आहरण के पूर्व निदेशक की अनुमति आवश्यक थी परंतु धनराशि रु 7642/- तथा रु 3920/- के प्रकरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति रिक्त पायी गयी।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बिन्दु संख्या-01 के संबंध मे संबन्धित क्रय समिति का गठन नियमावली के तहत भविष्य मे पूर्व मे घोषित कर तद्पश्चात क्रय प्रक्रिया कार्यवाही पूरी की जाएगी। बिन्दु संख्या-02 के संबंध मे सीमित समय होने के कारण बिल की कापी प्रस्तुत किया जाना संभव नही है। बिन्दु संख्या 03 के संबंध मे इकाई मौन रही।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, इकाई उत्तराखण्ड प्रॉक्यूरमेंट रूल का अनुसरण करने में अक्रियाशील रही। बिल वाउचर का रखरखाव में शिथिलता पायी गयी तथा क्रय समिति के गठन में नियम संगत पारदर्शिता नहीं लायी गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण धनराशि रु. 844.52 का MOU निष्प्रभावी पाया जाना एवं नियोजन की कमी के कारण संस्थानों हेतु सृजित पदों के सापेक्ष तैनात कर्मियों के बावजूद प्रयोजन प्रभावित पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), निरंजनपुर देहरादून के अधीनस्थ संचालित संस्थान आईटीआई सहसपुर (बोक्सा) एवं आईटीआई सहसपुर (मुस्लिम) के अभिलेखों की समीक्षा की गयी जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत पाये गए:-

1. शासनादेश संख्या 223/XLI-1/2015-59(प्रशि॰)/2015, दिनांक 26.03.2015 द्वारा सहसपुर में एक माडल आईटीआई की स्थापना किए जाने हेतु नाबार्ड से वित्त पोषित धनराशि रु 844.52 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष समस्त धनराशि रु 844.52 लाख तीन किश्तों (माह 03/15 को रु 253.36 लाख, माह 08/16 को रु 300.00 लाख एवं माह 01/2017 को रु 291.16 लाख) में कार्यदायी संस्था उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को अबमुक्त किया जा चुका है जिसके सापेक्ष अब तक कार्य की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति 91% पायी गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक धनराशि रु 810.30 लाख निर्माण कार्य हेतु उपयोग किया जाना पाया गया। जांच मे पाया गया कि संबन्धित निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू 04/2015 मे किया गया तथा एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि 24 माह(04/2017) पायी गयी तथा कार्यदायी संस्था को 01/2017 तक सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किए जाने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण पाया गया। प्रकरण की जांच मे तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई द्वारा वास्तविक रूप में माह 04/2016 (1 वर्ष के उपरान्त) को भूमि सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त 05/2016 मे निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भ किया गया अर्थात बिना भूमि की सुनिश्चिता के विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू किया गया अतः विभागीय उदासीनता के कारण संबन्धित निर्माण कार्य हेतु एमओयू को निष्प्रभावी बनाया गया। आगे जांच के उपरान्त पाया गया कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन तैयार करते समय सर्विस टेक्स का प्रावधान नही होने के कारण रु 47.98 लाख का अतिरिक्त भार निर्माण कार्य पर हुआ जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया अर्थात संबन्धित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु 844.52 लाख के सापेक्ष रु 892.95 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी जबकि संबन्धित अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर से नियमित/प्रदान नहीं की गयी थी।
2. आईटीआई सहसपुर (बोक्सा) एवं आईटीआई सहसपुर (मुस्लिम) हेतु 01/2013 मे मु॰ घोषणा तहत उक्त संस्थानो के स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम मे शासनादेश संख्या 92/XLI-7/14-36(प्रशि)/2013, दिनांक 06 जून 2014 द्वारा पदो का सृजन किया

गया तथा प्रत्येक संस्थान हेतु 03-03 व्यवसायो की कुल 12 यूनिट संचलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसे बाद मे पुनरीक्षित किए जाने पर यथावत रखा गया। आगे शासनादेश संख्या 142/XLI-1/मु॰ घो॰-22/15-प्रशि/2012 द्वारा दिनांक 26.02.2015 के अनुसार उक्त दोनों संस्थानो हेतु शासन स्तर पर भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित कर तथा प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजने हेतु निर्देश जारी किए गए थे जो की वर्तमान तक भूमि की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पाये गए। आगे जांच मे पाया गया उक्त दोनों संस्थान हेतु शासन स्तर पर स्वीकृत कुल 32 पदो(प्रत्येक संस्थान हेतु 16 पद) के सापेक्ष वर्ष 2016 से 15 कर्मचारियो की तैनाती उक्त संस्थानो मे की गयी थी जबकि संबन्धित संस्थान अपने स्थापना वर्ष के उपरान्त वर्तमान तक असंचालित पाया गया। संस्थान निरंजनपुर द्वारा निदेशालय को प्रेषित स्टाफ पोसिशन के अनुसार संबन्धित कर्मचारीयो को किसी अन्य संस्थान पर तैनात नही किया गया और न ही संबन्धित संस्थान किराए के भवनो मे संचालित पाये गए। नोडल संस्थान निरंजनपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे प्रारूप 04,05,07,08,09 जो की व्यवसाय वार अनुदेशकों की स्थिति, संस्थान मे संचालित व्यवसाय एवं एनसीवीटी/एससीवीटी संबन्धित संबंधता की स्थिति को प्रकट करते है, व्यवसाय के असंचालित होने के कारण निदेशालय को प्रेषित नही किए जा रहे थे।

3. लेखापरीक्षा जांच मे अवलोकित हुआ कि आईटीआई सहसपुर बोक्सा एवं मुस्लिम को समाहित कर माडल आईटीआई सहसपुर बनाने का निर्णय लिया गया था, जबकि संबन्धित उक्त दोनों आईटीआई दो भिन्न- भिन्न प्रजाति के उत्थान जनजाति बोक्सा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग मुस्लिम हेतु प्रथक रूप से संचालित किए जाने का शासकीय निर्णय जारी किया गया था साथ ही पत्रांक 1953/स्था॰/0903/भवन निमा॰/सहसपुर/16 दिनांक 21.10.16 के अनुसार उक्त दोनों संस्थानो को समाहित किया जाने एवं संस्थान के स्वीकृत पदो को मर्ज किया जाने का प्रस्ताव इकाई द्वारा प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा मे वर्तमान तक संबन्धित संस्थानो को समाहित किए जाने संबन्धित कोई शासनादेश/दिशानिर्देश एवं स्वीकृति संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्राप्त पाये गए साथ ही संबन्धित संस्थानो के पदो को समाहित किए जाने के शासकीय आदेश/ दिशानिर्देश अप्राप्त पाये गए।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बिन्दु संख्या-01 के संबंध भूमि सुनिश्चितता मे 14 माह के व्यतीत होने के कारण कार्य विलम्ब से शुरू हुआ जिस कारण निर्माण कार्य समय से पूर्ण नही किया जा सका एवं सर्विस टेक्स के संबंध मे निर्माण एजेंसी से पत्राचार कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। बिन्दु संख्या-02 के संबंध मे किराए के भवनो मे संस्थान के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान का अभाव होने के कारण दोनों संस्थान वर्तमान तक संचालित नही किए जा सके एवं स्टाफ को अन्य संस्थान हेतु तैनाती के संबंध मे इकाई ने टिप्पणी दी कि पत्राचार किया गया परन्तु वर्तमान तक कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रथक प्रथक आईटीआई मे तैनात कर्मचारी की सेवाए विकास नगर आईटीआई के माडल आईटीआई स्थापित होने तक ली जा रही है जिसे आगामी आदेश प्रभावी होने तक यथावत रखा जाएगा एवं संबन्धित सूचना उच्च

अधिकारी से प्राप्त कर प्रेषित कि जाएगी। बिन्दु संख्या-03 के संबंध मे नोडल आईटीआई का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परंतु उक्त माडल आईटीआई के शासनादेश मे प्रथक रूप से संस्थानो का वर्णन नही किया गया। तथा दो समुदायो के लिए प्रथक प्रथक आईटीआई की परिकल्पना के पश्चात पुनः माडल आईटीआई का निर्णय के संबंध मे उच्चाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय तथा इस संबंध मे ऑडिट द्वारा पुछे गए कि दोनों समुदायो के हितो की पूर्ति माडल आईटीआई द्वारा किस तरह की जाएगी के संबंध मे समस्त जानकारियाँ उच्चाधिकारियों से प्राप्त कर आख्या मे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है जब दो अलग-2 सामुदायों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए अलग-2 शासकीय आदेश जारी किये गये जो वर्तमान में भी प्रभावी पाये गये तथा दोनों संस्थानों के लिए पृथक-2 पद सृजित करते हुए कर्मिकों को तैनात किये गये फिर मॉडल ITI सृजित करना तथा समर्थन में कोई शासकीय आदेश जारी न होना योजना का निष्प्रभावी करने का प्रकरण पाया गया। विभाग की उदासीनता इस बात को इंगित करती है कि संस्थानों के अस्तित्व मे नहीं होने के बावजूद (लेखापरीक्षा तिथि तक) भी परन्तु इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2014 से तैनात किये गये 15 कर्मिकों से प्रायोजन की पूर्ति के लिए सेवा नहीं ली जा रही थी तथा दोनों संस्थाओं के लिए वर्तमान तक शासन को भवन निर्माण/संस्थान की स्थापना किये जाने संबंधित कोई प्रयास नहीं किया गया तथा भूमि बिना सुनिश्चित किये रु. 844.52 लाख लागत का निर्माण एजेंसी से अविवेकपूर्ण अनुबंध किया गया जिस कारण समय से कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने के बावजूद वर्तमान तक कार्य लम्बित पाया गया एवं MOU निष्प्रभावी रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2ब

प्रस्तर:-4- आईएमसी दिशानिर्देशों के विपरीत अनियोजित ढंग से सीडमनी की धनराशि आरक्षित रखकर प्रयोजन प्रभावित किया जाना का प्रकरण।

The interest free loan received by the IMC is kept in a separate bank account. The loan amount may be used for providing additional civil work in the ITI, which shall not exceed 25% of the loan amount; for use as seed which shall not exceed 50% of the total loan amount; for procurement of machinery and equipment and other activities Directly related to upgradation of training infrastructure in the ITI. any deviation from this pattern of use of funds has to be justified by the IMC and prior approval obtained from the NSC. The interest free loan is released to IMC is directly on the basis of an IDP. The IDP is submitted to SSC, which scrutinize it and forwarded to central government for release of fund.

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून के अंतर्गत संचालित संस्थान आईटीआई विकासनगर के पीपीपी मोड द्वारा संचालित आईएमसी (Institute Management Committee) संबन्धित अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि पत्रांक DGET-35(1396)/Uttrakhand/2009-NIC, दिनांक 29.02.2008 द्वारा वर्ष 2007-08 मे धनराशि रु 2.50 करोड़ ब्याज रहित ऋण संस्थान को प्रदान किया गया था जिसका उद्देश्य नए व्यवसायो का संचालन एवं संचालित व्यवसायो को उच्चीकृत (upgrade) किया जाना था।

लेखापरीक्षा मे विगत वर्षो के तुलन पत्र की समीक्षा मे पाया गया कि वर्ष 2010-2011 मे रु 251.75(ब्याज सहित) की धनराशि एफ़डीआर के रूप मे बैंक खातो के तहत संचालित की गयी एवं क्यूपीआर/तुलन पत्र जून 2018 के तहत रु 168.55 लाख (ब्याज सहित) सीडमनी हेतु एफ़डीआर के रूप मे आरक्षित रखी गयी पायी गयी। जबकि उक्त नियमो के परिपेक्ष्य मे सीडमनी (seed money) हेतु एसडीआर/ एफ़डी के रूप मे आरक्षित धनराशि (अधिकतम 50%, अर्थात 1.25 करोड़) को सीडमनी के रूप मे उपयोग किया जा सकता था जिससे आईटीआई के उच्चीकृत हेतु सुधरीकृत आय आईएमसी समिति को प्राप्त हो सके। संबन्धित आईडीपी की समीक्षा मे पाया गया की समिति द्वारा सीडमनी हेतु धनराशि रु 50.00 लाख (मूल एवं पुनरीक्षित 2013) आरक्षित रखा जाना पाया गया। आगे तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2008 से ऋण प्राप्ति के 10 वर्ष के उपरान्त भी मात्र दो व्यवसायो(अगस्त 2017 से) एवं तीन नए व्यवसाय(अगस्त 2017 से) आईएमसी समिति द्वारा संचालित किए गए है जो योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया जाना दर्शाता है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि योजना हेतु आबंटित धनराशि मे से रु 2.58 करोड़ की धनराशि को एफ़डीआर के रूप मे दिशानिर्देशों के विपरीत मार्च 2009 मे जमा कर ब्याज अर्जित किया जाना पाया गया जबकि आईएमसी/एसएससी समिति द्वारा स्वीकृत आईडीपी (institutional Development Plan) मूल एवं पुनरीक्षित 2013 के अनुसार धनराशि रु 50.00 लाख सीड मनी हेतु आरक्षित रखे जाना प्रावधानित था। साथ ही उक्त के संबंध मे दिशानिर्देशों के विपरीत भारत सरकार से बिना अनुमति प्राप्त किए धनराशि रु 2.50 करोड़ को सीडमनी हेतु आरक्षित रख कर, धनराशि रु 1.25 करोड़ (रु 2.50 -1.25= 1.25 करोड़) का diversion किए जाने के अनुमति संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए। पत्रांक 35/1396/guidelines/2014-NIC, dated 21.07.2014 के अनुसार 'the balance fund including seed money and interest available after making of all requirement expenditure at the end of financial 2015-16 shall not exceed Rs. 1 crore and any balance beyond this amount may be prepaid to the central Government." जबकि संस्थान को एफ़डीआर के सापेक्ष

अब तक कुल 2.10 करोड़ ब्याज अर्जित होने के बावजूद वर्तमान तक ऋण की अदायगी संबन्धित कोई पहल सस्थान से नही किया गया। जून 2018 की क्यूपीआर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान तक संस्थान मे स्थापित व्यवसाय मे से मात्र दो व्यवसायो (डीएमसी एवं वायरमेन) अगस्त 2017 से उच्चीकृत किए गए एवं तीन नए व्यवसाय (अगस्त 2017 से) आईएमसी समिति द्वारा ऋण अवमुक्त किए जाने के 10 वर्षो के बाद संचालित किए गए है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि समिति द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये ब्याज रहित ऋण की धनराशि नये व्यवसायो के संचालन/ उच्चीकरण पर व्यय न कर बैंक खाते मे जमा कर योजना के उद्देश्यों को प्रभावित कर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाना प्रदर्शित हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि संबन्धित प्रकरण विकासनगर आईएमसी समिति से संबन्धित है अतः मांगी गई सूचनाए एवं जानकारी हेतु समिति को प्रेषित कर प्राप्त की जाएंगी तथा प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही सूचना ऑडिट को प्रेषित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि ऋण की धनराशि उच्चीकृत हेतु व्यय न कर दिशानिर्देशों के विपरीत अधिकतम सीमा से अधिक सीडमनी के रूप मे धनराशि का अवरोधन कर बैंक खातो मे ब्याज अर्जित कर योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित किया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- रु 2.62 लाख का अपव्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर देहरादून के अंतर्गत संचालित आईटीआई विकासनगर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि शासनादेश स. 165/XLI-1/2015-76(प्रशि॰)/14 टी.सी.-01, दिनांक 09.03.15 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकासनगर मे क्लासरूम भवन एवं कार्यशाला (प्रथम चरण) हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण को मृदा परीक्षण एवं सेर्वेक्षण कार्य एवं प्राकल्लन हेतु रु 2.62 लाख अवमुक्त की गयी जिसे प्रयुक्त कर निर्माण एजेंसी द्वारा मार्च 2015 मे इकाई को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी, परंतु निर्माण कार्य पर होने वाली कार्यवाही लेखा परीक्षा तिथि तक प्रतीक्षित पायी गयी।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2015 मे निर्माण एजेंसी को कार्यशाला एवं क्लासरूम हेतु टोकन मनी के रूप मे रु 2.62 लाख आबंटित किया गया था, जिसका निर्माण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण पर व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तावित भवन निर्माण वर्क के लिए धनराशि जारी होना प्रतीक्षित है।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, वित्तीय संसाधन का पूर्व आकलन तथा समय से प्राप्त होने की संभावना सुनिश्चित किए बिना रु 2.62 लाख का व्यय उद्देश्यविहीन रहा फलतः 03 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नही हुआ जो कार्य के लिए आवश्यक धन जारी होने मे रुचि दर्शाता हो।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

ST AN

<u>प्रस्तर</u>:2- धनराशि रु 53.08 लाख के उपकरणों के व्यय पर निर्धारित अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाना तथा अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया गया।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखाशीर्ष 2230-03-003-02 एवं 2230-03-796-03 के अंतर्गत मद संख्या-26 "मशीन और उपकरण" के तहत आबंटित कुल रु 53.98/- लाख के सापेक्ष धनराशि रु 53.08/- लाख का व्यय मशीनों एवं उपकरणो पर किया गया। संस्थान स्तर से मांग पत्र (Demand letter/shortage of tools & machine) की सूची तैयार कर निदेशालय प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर विभिन्न मैसर्स/आपूर्तिकर्ता से टूल्स एवं मशीन का क्रय कर संस्थान को प्रदान किया गया। जांच मे पाया गया कि संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो के क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया। आपूर्तिकर्ताओ को क्रय/आपूर्ति आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए गए जबकि उनके भुगतान की कार्यवाही यूनिट स्तर से पूरी करायी गयी। इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद बिना क्रय पत्रावली प्राप्त किए न केवल फर्मों को भुगतान किया गया बल्कि प्राप्त मशीनों एवं उपकरणो से संबन्धित कोई इनवेंटरी/ सूची का रखरखाव भी इकाई द्वारा नही किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त धनराशि रु 53.08/- लाख के उपकरणो एवं मशीनों के installation एवं demonstration कार्य पूर्ण किए बिना ही इकाई द्वारा संबन्धित फर्मों (लिपि एंटरप्राइज़ एवं ग्लोबल इन्फोकोम लिमिटेड) को पूर्ण भुगतान किया गया। आगे जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि निदेशालय द्वारा संबन्धित टूल्स एवं मशीनों के क्रय आदेश जारी किए गए एवं मशीनों एवं उपकरणो हेतु जारी क्रय आदेशो की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि "बिन्दु संख्या- 08 payment shall be made by the Director, Training Uttrakhand after receiving the items successful installation erection, commissioning, training & technical verifications at the destination ITI level." जबकि संबन्धित धनराशि रु 53.08/- लाख का भुगतान इकाई द्वारा किया गया। अतः लेखापरीक्षा मे संबन्धित भुगतान हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि मांग पत्र निदेशालय को कार्यालय स्तर से प्रेषित किए गए थे एवं क्रय प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की गयी तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि संस्थान को टूल्स एवं मशीनों के क्रय हेतु बजट अलग से विभाग/शासन स्तर से प्रदान किया गया था एवं क्रय प्रक्रिया/क्रय आदेश निदेशालय स्तर से जारी किए गए जिसके सापेक्ष आपूर्तिकर्ताओ को भुगतान इकाई स्तर से सुनिश्चित किया गया जबकि संबन्धित क्रय आदेशो के अनुसार फ़र्म/आपूर्तिकर्ताओ को भुगतान किए जाने का दायित्व निदेशालय का था न की इकाई का था।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-3- आहरण एवं वितरण अधिकारी IT। (युवक) माजरा में तैनात कर्मियों के वेतन/भत्तों का अनियमित ढंग से भुगतान किये जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर देहरादून के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि लेखाशीर्ष 2230-03-001-01-00 जो कि निदेशालय तथा प्रशासन, हल्द्वानी से संबन्धित है का संचालन संस्थान के बजट पत्रावली के अनुसार क्रियान्वित पाया गया। विगत वर्षो मे उक्त लेखाशीर्ष के माध्यम से आबंटन तथा व्यय का विवरण निमन्वत पाया गया।

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1	2015-16	7.75 लाख	4.25 लाख	3.49 लाख
2	2016-17	26.05 लाख	10.35 लाख	15.69 लाख
3	2017-18	10.03 लाख	9.98 लाख	0.02 लाख

आगे जांच मे पाया गया कि उक्त लेखाशीर्ष द्वारा निदेशालय के अधीन तैनात कर्मचारियो के वेतन एवं अन्य भत्तो आदि का भुगतान किया जाता है जिसके संबन्धित देयक लेखापरीक्षा मे अनुपलब्ध पाये गए। कार्यालय के चयनित नमूना जांच माह 08/2016 एवं 03/2015 मे क्रमश: रु 136058 एवं 12887 का भुगतान आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया गया जिसके संबन्धित वाउचर लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए।

आगे तथ्य प्रकाश मे आया कि कर्मचारी निदेशालय के द्वारा संस्थान मे तैनात है एवं इनकी रेपोर्टिंग निदेशालय स्तर पर की जाती है और न ही स्टाफ पोसिशन मे उक्त को प्रदर्शित किया जा रहा था। संस्थान स्तर से उक्त कर्मचारियो हेतु सस्थान स्तर से बजट की मांग की जाती है जबकि संबन्धित देयकों का भुगतान संस्थान को आबंटित डीडीओ प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून द्वारा किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि कर्मचारी निदेशालय के अधीनस्थ है एवं इनकी रेपोर्टिंग निदेशालय स्तर पर की जा रही है।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, क्योकि संस्थान द्वारा संबन्धित कर्मचारियो के वेतन एवं अन्य भत्तो का भुगतान किया जा रहा था जबकि संबन्धित वाउचर/ अन्य अभिलख लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/86/2013-14	शून्य	01,02,03	01
Ss/39/2009-10	01,02,03	01,02	01
SS/62/2008-09	शून्य	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
SS/86/2013-14	शून्य	01,02,03	01			
Ss/39/2009-10	01,02,03	01,02	01			
SS/62/2008-09	शून्य	01	01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ निरंजनपुर, देहरादून	विगत लेखापरीक्षा अवधि से 11.07.2017 तक
श्री अनिल सिंह	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ निरंजनपुर, देहरादून	12.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र